

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ / स्था0 / प्रयो0सहा0(ग्रा0) / टी0सी0 / 2016-17 / ~~2396~~ दिनांक 29 जुलाई / 2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव श्री संजय कुमार प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।


1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हो, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार, प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनापरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्रांक: 10फ / स्था0 / प्रयो0सहा0(ग्रा0) / टी0सी0 / 2016-17 / 2396-101

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ / लखीमपुर खीरी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ / लखीमपुर खीरी।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को किभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल।


(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव श्री राममणि त्रिपाठी, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोवा के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हों, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्हीं भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के अनुसूचितोपरांत निर्गत किये जा रहे हैं।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2259-64

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, महोवा / इलाहाबाद।
4. मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, महोवा / इलाहाबाद।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. गार्ड फाइल।

400
29.7.16
(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/ दिनांक 29-7-2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-2 की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 के क्रम में निम्न शासनादेश संख्या 2131/संक-2-पांच-16-4(79)/2008, दिनांक 13.06.2016 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत महानिदेशालय के स्थानान्तरण आदेश संख्या 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/1130-36 दिनांक 30 जून 2016 के द्वारा क्रम संख्या-70 पर जनहित में श्री सुदामा प्रसाद, प्रयोगशाला सहायक, ग्राम्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा के अधीन किया गया स्थानान्तरण मु0चि0अ0, बलिया के द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण सूचना के फलस्वरूप हुए स्थानान्तरण पर श्री सुदामा प्रसाद से प्राप्त प्रत्यावदन पर महानिदेशालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त उनका स्थानान्तरण आदेश तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त कर्मचारी अपनी पूर्ववर्ती तैनाती स्थान पर तैनात रहेंगे।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्रांक 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2266-70

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा / बलिया।
- 4 मुख्य/परिष्क कोषाधिकारी, एटा / बलिया।
- 5 प्रभासी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।

(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव श्री नन्दलाल, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही के अधीन रिट याचिका संख्या-4161/एस0एस0/2014 राम बहादुर चौधरी व 11 अन्य वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2014 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हों, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्ही भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

(जी0के0कुरील)
निदेशक, स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2279-84

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद / भदोही।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुरादाबाद / भदोही।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. गार्ड फाइल।

29.7.16

(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रावस्ती के अधीन विकलांगता नीति एवं रिट याचिका संख्या-859/2016 सुरेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 05.04.2016 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों/निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जाता है।


1. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को योगदान कराने से पूर्व इस स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विशेष पत्रवाहक जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा सत्यापित किये गये हों, के माध्यम से अनिवार्य रूप से करा ली जाये, स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि हो जाने के उपरान्त ही योगदान कराया जाए।
2. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में स्थानीय व्यवस्था पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, किन्तु कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनकी नियुक्ति नियमानुसार की गयी है या नहीं है, तथा वह नियमित रूप से अपने ड्यूटी पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं यदि ड्यूटी पर किन्हीं भी कारणों से उपस्थित नहीं हैं या कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो इसकी सूचना महानिदेशालय को ई-मेल (directorhealth2012@gmail.com) पर तत्काल उपलब्ध करायी जाए।
3. संबंधित प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कार्यभार मुक्त/ग्रहण संबंधी प्रभार प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारियों एवं महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराये जायें।
4. उक्त स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
5. उक्त स्थानान्तरण आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये उ0प्र0, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य
तददिनांक

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2272-77

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर / श्रावस्ती।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर / श्रावस्ती।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. गार्ड फाइल।


(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17

दिनांक/29 जुलाई/2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-2 की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2131/सेक-2-पांच-16-4(79)/2008, दिनांक 13.06.2016 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत महानिदेशालय के स्थानान्तरण आदेश संख्या 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/1130-36 दिनांक 30 जून 2016 के द्वारा क्रम संख्या-140 पर जनहित में श्री अनिल कुमार श्रीवांस्तव, प्रयोगशाला सहायक, ग्राम्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूं के अधीन किया गया स्थानान्तरण दम्पति नीति संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत दम्पति-नीति के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त कर्मचारी अपनी पूर्ववर्ती तैनाती स्थान पर तैनात रहेंगे।

(जी0के0कुरील)
निदेशक स्वास्थ्य

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2188-92 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2 विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन चिकित्सा अनुभाग-1
- 3 संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 4 मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच / बदायूं
- 5 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी बहराइच / बदायूं
- 6 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 7 गार्ड फाइल।

(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/

दिनांक 29 / जुलाई / 2016

आदेश

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत महानिदेशालय के आदेश संख्या-10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/ 2016-17/ 1130-38 दिनांक 30.06.2016 के क्रम संख्या-114 पर अंकित श्री नागेन्द्र प्रसाद, प्रयोगशाला सहायक, ग्राम्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इलाहाबाद के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़ किये गये स्थानान्तरण को संशोधित करते हुए श्री प्रसाद को मुख्य चिकित्साधिकारी हमीरपुर के अधीन तात्कालिक प्रभाव से तैनात किया जाता है।

शेष शर्तें/प्रतिबन्ध/निर्देश यथावत रहेंगे।

(जी0के0कुरील)

निदेशक स्वास्थ्य

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2294-99 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी इलाहाबाद/हापुड़/ हमीरपुर।
- 4 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद/हापुड़/ हमीरपुर।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।

(उमेश सिंह यादव)
संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/ दिनांक 29 जुलाई/2016

आदेश

तात्कालिक प्रभाव से शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत महानिदेशालय के आदेश संख्या-10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/ टी0सी0/ 2016-17/1800 दिनांक 11.07.2016 के क्रम संख्या-9 पर अंकित श्री प्रदीप कुमार, प्रयोगशाला सहायक, ग्राम्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ललितपुर के अधीन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर किया गया स्थानान्तरण एवं महानिदेशालय के आदेश संख्या-10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/ टी0सी0/ 2016-17/2140 दिनांक 26.07.2016 के द्वारा उनके निजी अनुरोध पर संशोधित करते हुये उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी उरई (जालौन) के अधीन किये गये स्थानान्तरण को संशोधित करते हुये श्री प्रदीप कुमार, प्रयोगशाला सहायक, ग्राम्य को जनपद हरदोई में तैनात किया जाता है।

शेष शर्तें/प्रतिबन्ध/निर्देश यथावत रहेंगे।

(जी0के0कुरील)

निदेशक स्वास्थ्य

पत्रांक: 10फ/स्था0/प्रयो0सहा0(ग्रा0)/टी0सी0/2016-17/2331-36 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-1
- 2 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 3 मुख्य चिकित्साधिकारी मिर्जापुर/ललितपुर/उरई (जालौन)/हरदोई
- 4 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मिर्जापुर/ललितपुर/ उरई (जालौन)/हरदोई।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 6 गार्ड फाइल।

(उमेश सिंह यादव)

संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य